

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

- Form 21C

(See Rule 64)

[For use in General Election when seat is contested]

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** from the **SIWANA-138** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election rules, 1961, I declare that

SHRI HAMEER SINGH BHAYAL,

DOULATSINGH KI DHANI, PADRU ROAD, GARH SIWANA, TEHSIL SIWANA (BARMER)
Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: **Barmer**

Date: **11.12.2018**



(ANJUM TAHIR SAMMA)

RETURNING OFFICER

RETURNING OFFICER

138-Siwana Assembly Constituency

Sub Divisional Officer and

Sub Divisional Officer and

Sub Divisional Magistrate, Siwana

निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए; जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

138--सिवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -


श्री हमीर सिंह भायल, दौलतसिंह की ढाणी, पादरू रोड, गढ सिवाना, तहसील सिवाना (बाड़मेर)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बाड़मेर

दिनांक: 11.12. 2018



(अञ्जुम ताहिर सम्मा)

सिटीज्म ऑफिसर

138-सिवाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उप खण्ड अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उप खण्ड अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
सिवाना